Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding relaxation of norms of Pradhan Mantri Awas Yojana for people in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra-laid.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी आवासविहीन नागरिकों को वर्ष 2022 तक आवास सुलभ कराए जाने हेतु संकल्प लिया है, जो स्वागतयोग्य है और इसके लिए सभी देशवासी केन्द्र सरकार के आभारी हैं ।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 'अ' तथा 'ब' वर्ग के लाभार्थियों को आवास सुलभ हो चुका है किन्तु जिन ग्रामीणों के नाम 'ड' वर्ग में हैं, उन्हें आवास की मान्यता के लिए रखी गई शर्तो के वजह से आवास का सपना साकार नहीं हो पा रहा है ।

इस संबंध में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां के गरीब लोगों ने किश्तों पर टी.वी., मोबाइल, फ्रिज, मोटर साइकिल आदि खरीदी हैं तथा जिनके पास केवल 5 एकड़ भूमि है, वे वर्ग 'ड' में आने की वजह से केन्द्र की आवास की सुविधा से वंचित हो रहे हैं ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ग 'ड' में आते हैं, उन्हें वर्ग 'ड' में रखी गई कड़ी शर्तों को शिथिल करके आवास सुनिश्चित किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए ।